रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1758] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 14, 2019/ज्येष्ठ 24, 1941
No. 1758] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 14, 2019/JYAISTHA 24, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2019

का.आ. 1966(अ).—प्रारूप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 4106 (अ), तारीख 28 दिसम्बर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर, आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 29 दिसम्बर, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

और, पौलरेंग वन्यजीव अभयारण्य (वन्यजीव अभयारण्य) का क्षेत्र 50.0 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और मिजोरम राज्य के कोलासीब जिला में शेरखान-बगा सड़क के पूर्व में 7.0 किलोमीटर की दूरी में स्थित है, वन्यजीव अभयारण्य में 40% आरक्षित वन और 60% सरकारी अवर्गीकृत भूमि शामिल है यहाँ अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी है। और जिसमें 70% खड़ी ढलान और 30% साधारण ढलान के साथ रेतीली मिट्टी और तलछटी चट्टानें भी हैं;

और, पौलरेंग वन्यजीव अभयारण्य के मिजोरम राज्य सरकार द्वारा इसकी पारिस्थितिकी, वनस्पतिक, जीवजन्तु और प्राकृतिक महत्व, संरक्षण और प्रचार तक का घोषित किया और यह वन्यजीव के संरक्षण, प्रचार विकास के लिए आवश्यक है और इसके पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इसे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधान, दिनांक 10 दिसंबर, 2013 की अधिसूचना सं. बी.12012/16/2013-एफएसटी, द्वारा घोषित किया गया है;

और, पौलरेंग वन्यजीव अभयारण्य जैव विविधता में समृद्ध है, जो कई दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न (आरईटी) और स्थानिक प्रजातियों के लिए आश्रय और संरक्षण प्रदान करता है। यह तुइरियल नदी के लिए एक महत्वपूर्ण आवाह क्षेत्र भी है;

और, पौलरेंग वन्यजीव अभयारण्य महत्वपूर्ण वनस्पतियों की 32 प्रजातियों का संरक्षण और आश्रय प्रदान करता है जिसमें वृक्षों की 21 प्रजातियां, झाड़ियों की 5 प्रजातियां, बांस और रतन की 2 प्रजातियां, और ऑर्किड की 4 प्रजातियां सम्मिलित हैं, वृक्ष की 21 प्रजातियों में नागनबाम (*एक्रोकारपस फ्लेक्सिनिफोलियास*), बनफ़र (*एंटोसिफालस चिनेंसिस*), टाटकॉन्ग (*आर्टोकारपस चमा*), फ्चानवंग (*बमपैक्स सीइबा*), थिंग्सिया (*कास्टानोपिस ट्राइबुलोइडेस*), ज़ुआंग (*डुआबांगा ग्रान्डिफ़ोलिया*), तुयरम (*गरुगा फ्लोरिबुन्डा वार गैम्बल*), थलनवॉन्ग (*ग्मेलना ऑर्बोरेआ*) खावितूर (*हाइडनोकारपस कुर्जी*), हर्शे (*मेसिया फेरिया*), नजीआई-हनसिन (*मिशेलिया ओविंगा*), पौलेंग (*मित्राज़िना डायवर्सिफ़ोलिया*), हनीबंग (*पालेक्विअम पॉलीथुम*), बलबावर (*फीबिया एटेन्यूएट*), थिंगवॉक्कपूई (*सिपियम बेकाकटम*), चार (*टर्मिनलिया मेरिओकार्पा*), टेइपूई (*टोना सिलिएट*) सनहुल्लू (*एम्ब्लिका आफिअनालिस*), पासलताजा (*हेलिसिया रोबस्टा*), सर्नम (*लिटसेआ क्यूबबा*) और थेंलेंगेंरेंग (*विटेक्स हेटेरोफिला*) सम्मिलित हैं, झाड़ियों की 5 प्रजातियों में ज़ॉन्ग्रेवहुलंग (*अल्चोर्निया टीलियाफ़ोफ़िया*), फाकटेल (*ब्राईडेलिया मोनोईका*), केल्टेबेंगबेह (*तबेनेनामोंटाना डवारिकाटा*), पेल्ह (*ग्रेटम ग्रेमोन*) और अर्ंगेंग (*मेसा इंडिका*) सम्मिलित हैं, बांस की 2 प्रजातियों में माउ ताक (*मेलोकैना बासीफेरा*) और सायरिल (*डिनोचलोआ कैम्पैक्टफ्लोरा*) सम्मिलित हैं, ऑर्किड की 4 प्रजातियों में सेनहरी (*रेनंथेरा इम्स्चुतियाना*), बान सेई/लाह्हांग (*डेंड्रोबियम फ़िम्ब्रियाटम*), लॉह लेई (*वांडा कोरुले*) और नौबन पर वर (*कोलॉजीन निटिडा*) सम्मिलित हैं;

और, पौलरेंग वन्यजीव अभयारण्य महत्वपूर्ण वनस्पति सहित स्तनधारियों की 23 प्रजातियों का आश्रय स्थल है जिनमें 4 प्रकार की प्राइमेट्स प्रजातियां, मांसाहारी की 6 प्रजातियां, लघु मांसाहारी की 7 प्रजातियां, अनगलित की 2 प्रजातियां, 2 प्रजातियां कैनिडस की प्रजातियां और 2 सरसिडस की प्रजातियां जिनमें हूलॉक उतक-हौक- (*हीलोबेट हूलॉक*), सूअर पुच्छ, लघु पुच्छ वानर (*मकाका लिओनीना*), लजीला वानर (*निक्टिकेसबास बेंगलेंसिस*), फेयर लीफ बंदर (*ट्रैक्टीपिटहेकस फेरेरी*), सामान्य तेंदुआ (*पेंथेरा पार्डस*), लमचित्ता (*नेफ़ेलिस नेबुलोसा*), स्वर्ण बिल्ली (*कैटपुमा टेममिन्की*), तेंदुआ बिल्ली (*प्रियोएइल्यूरस बेंगलेंसिस*), मारबल्ड बिल्ली (*पार्डोफेलिस मोर्मोटाटा*), मत्स्य बिल्ली (*प्रियोयलुरस विवरिनुस*), होग बेजर (*एरक्ट्स कॉलरिस*), पीला-गले वाले उदबिलाव (*माट्र्स फ्लैविगुला*), बड़े भारतीय मुसंग (*वीवररा जिबेथा*) छोटे भारतीय मुसंग (*वीवर्रिकुला इंडिका*), बिंटूरॉन्ग (*आर्क्टिकटिस बिंटुरोंग*), क्रेव इटिंग नेवला (*हेर्पेस्ट्स यूआरवा*), येलो बेल्ड वेसेल (*मुस्टेला कथिया*), जंगली कुत्ता (*कुओन अल्पाइन*), सियार (*कैनीस ऑरियस*), हिमालयन काला भालू (*उर्सस थिबेटनस*) , मलयान सन भालू (*हेलारक्टोस मलयियनस*), मुंजक (*मुनिटास मुंटजैक*) और सेरो (*नामोरेडस सुमरात्रिसिस*) सम्मिलित हैं;

और, पौलरेंग वन्यजीव अभयारण्य में पक्षियों की बहुलता है और यह 29 प्रमुख पक्षी प्रजातियों का आश्रय स्थल है जैसे वेरहाव-भूटान मयूर तीतर (*पोलिपेल्ट्रोन बिलिकरटम*), वाहुई (*ट्रेरोन एपीकाउडा*), वाहुई (*ट्रेलन कुविरोस्ट्रैरा*), बुलुट-इंपीरियल कबूतर (*ड्यूकुला बड़िया*), वाथू (*स्ट्रेप्टोपेलिया ओरिएंटलिस*), ह्लंगेकिर-कोलारड ओवलेट (*ग्लक्यूडियम ब्रोडी*), वरलथी (*हार्पेक्ट्स इरिथ्रोसिफेलस*), तलकावरह (*मेरोप्स फिलिपिनस*), थ्लोहसाई-ग्रेट स्लेटी कठफोडवा (*मूरलिपिकस पल्वरुलेंटस*), चैमहुर (*लैनियस टेफ्रोनोटस*), चांगसेन (*ओरिवालस ट्रेलिली*), कुल्हेर-हैयरक्रिस्टेड ड्रॉन्गो (*डाइक्रुरस होट्टोटेस*), वाकूल (*डाइक्रुरस पैरारायसस*), ड्वॉट्रिलआंग-ग्रीन नीलकण्ठ पक्षी (*सीसा चिनेसिस*), चुआक (*कॉर्वस मैकररहिन्कोस*), थेलकबुर – लार्ज वुड लहटोरा (*टेफ्रोडोर्निस वर्गाटस*), बावंग (*पेरिक्रोकॉटस फ्लैमेमेस*), नैवलवपेयुल (*पोमेटोरिनस हार्सफील्ड*), न्गलवपेयअल (*पोमेटोरिनस हाइपोलीयुकोस*), मिटवल (*एलसिपे निपलेंसिस*), थेह हेक (*प्रिंनिया हॉदगॉनी*), डाइकाट (*ओर्थोटॉमस सैटोरियस*), चिलरैंग-स्पोटेड फोर्कटेल (*एनिक्रुरस मैक्युलेटस*), सुकलेट (*सिट्टा कास्टाना*), टीआउ (*एंथस हॉजसॉनी*), दाविथामा अर्पा (*ऐथपागा सटुरटे*), दाविथामा अर्पा (*एथोपगा सिपाराज*), मिटवल (*ज़ोतोरप्स पेप्बोरोसा*) और छेमहुर (*लोनचुरा स्ट्राटा*) हैं;

और, पौलरेंग वन्यजीव अभयारण्य कई वनस्पतियों और जीवजन्तु की 16 स्थानिक प्रजातियों के लिए आश्रय और संरक्षण प्रदान करता है जिनमें *फिकुस रेलुगिओसा, मेसिया फेरिया, मिचेलिया चैम्पाका, एक्रोकारपस फ्रेक्सिनफोलिओस, बॉमबॉक्स सेइबा,* लमचित्ता, हूलॉक उतक, सन भालू, लजीला वानर, फेयर लीफ बंदर, सांभर, सेरो, कलीज तीतर, मयूर तीतर, सामान्य हिल तीतर और चितकबरी धनेश आदि सम्मिलित है;

और, पौलरेंग वन्यजीव अभयारण्य विभिन्न प्रकार के सीमित वनस्पति, जीवजन्तु और पक्षी-जीव का वास है, और मिजोरम और उत्तर-पूर्व क्षेत्र के स्थानिक वन्यजीव की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षण और आश्रय प्रदान करता है;

और, पौलरेंग वन्यजीव अभयारण्य और के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाऐं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 के नियम, 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमे इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की उपधारा (1) और धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मिजोरम राज्य में कोलासिब जिले में, पौलरेंग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर क्षेत्र जिसका विस्तार 0.8 किलोमीटर से 2.0 किलोमीटर तक है, पौलरेंग वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और सीमा**:-

(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 46.58 वर्ग किलोमीटर होगा जिसका विस्तार पौलरेंग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.8 किलोमीटर से 2.0 किलोमीटर तक होगा।

(2) पौलरेंग वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के विवरण **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध हैं।

(3) पौलरेंग वन्यजीव अभयारण्य के निर्देशांक और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू मण्डलीय स्थिति प्रणाली निर्देशांक **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना .– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का अनुपालन करके राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से राज्य सरकार द्वारा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुरूप तैयार की जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना, पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय संबंधी सरोकारों को उक्त योजना में समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी :—

(i) पर्यावरण;
(ii) वन और वन्यजीव;
(iii) कृषि;
(iv) राजस्व;
(v) शहरी विकास;
(vi) पर्यटन;
(vii) ग्रामीण विकास;
(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
(ix) नगरपालिका;
(x) पंचायती राज;
(xi) लोक निर्माण विभाग;
(xii) राजमार्ग;
(xiii) मिजोरम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों को अधिक दक्ष और पर्यावरण अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित और अवक्रमित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, की व्यवस्था की जाएगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामीण और शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्रों के साथ निर्धारण किया जाएगा। इस योजना से संबंधित सहायक मानचित्र में विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा दिया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना के अन्तर्गत में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित किया जाएगा तथा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्टानुसार निषिद्ध किए गए, विनियमित किए और बढ़ावा दिए गए क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा तथा स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के किए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास सुनिश्चित तथा संवर्धित किया जाएगा ।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) आंचलिक महायोजना, मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी जिसमें इस अधिसूचना के उपबंधों से सम्बधित उसके कर्तव्यों के निवर्हन का विवरण होगा ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) **भू-उपयोग.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, उद्यानों तथा आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए खुले स्थानों का बड़े वाणिज्यिक और आवासीय परिसरों संबंधी औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय या राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का निर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योग; सुविधा भण्डार और गृह वास सहित स्थानीय सुविधाएं जो पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक हैं; और

(v) बढ़ावा दिए गए और पैरा-4 में वर्णित क्रियाकलाप :

परंतु यह और भी कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से और संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा:

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव- विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत**.- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों, नदियों और जलसरणी के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी-पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का एक घटक होगी ।

(घ) पारिस्थितिक पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये होटल और रिसोर्ट का निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और सैरगाहों का स्थापन केवल पूर्व परिनिश्चित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी पर्यटन पर जोर देते हुए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर सम्बद्ध विनियामक प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और किसी नए होटल/रिर्सोट या वाणिज्यिक स्थापनों के संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(4) **नैसर्गिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उनके संरक्षण की योजना तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** .- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट. -** ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा -

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन समय-समय पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ई एस एम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ई एस एम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय –समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 समय–समय पर यथा संशोधित के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन.-** वाहन-यातायत का संचलन आवास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे तथा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, मानीटरी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार वाहनों की आवाजाही के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक इकाइयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी और इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.** - पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित किए जाएंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	विवरण (3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा।
2.	उद्योगों की स्थापना जिसके अंतर्गत (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) प्रदूषणकारी नए तेल और गैस खोज उद्योग भी हैं।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी। जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितकी संवेदी जोन के भीतर नई आरा मिल स्थापित करना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईंट भट्ठों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।

ख.विनियमित क्रियाकलाप		
9.	होटलों और रिजॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटल और रिसॉर्ट अनुज्ञात नही होंगे: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।
10.	फर्मों, कंपनियों आदि द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) के अधीन अनुज्ञात होगा।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु, स्थानीय निवासियों की आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों को, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी। परन्तु लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ऐसे लघु उद्योगों, जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
12.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
13.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमी अथवा सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
14.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
15.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य अवसंरचना की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
16.	नागरिक सुविधाओं सहित अवसंरचना।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किया जाएगा।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किया जाएगा।

18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स आदि को उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
19.	पर्वतीय ढ़लानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
20.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
21.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होगा।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल बहिस्राव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिस्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल बहिस्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
24.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं, बोर कुएं आदि का निर्माण।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त मानीटरी की जाएगी।
25.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
29.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय रुप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	अवक्रमित भूमि/वनों/वास-स्थलों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	पर्यावरणीय जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति.- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी मानीटरी के लिए निम्नलिखित को शामिल करके एक मानीटरी समिति गठित करती है:-

क्र. सं.	मानीटरी समिति का गठन	पद
(i)	कोलासिब जिले का उपायुक्त	-अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	भूमि राजस्व और निपटान विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(iii)	ग्रामीण विकास विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(iv)	कृषि विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(v)	स्थानीय प्रशासन विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(vi)	लोक निर्माण विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(vii)	सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(viii)	मत्स्य विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(ix)	उद्योग विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(x)	पुलिस विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(xi)	विद्युत एवं विद्युत विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(xii)	पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(xiii)	मृदा एवं नमी संरक्षण विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(xiv)	लघु सिंचाई विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
(xv)	प्रकृति संरक्षण (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि जिसे मिजोरम सरकार द्वारा नामित किया जाएगा	–सदस्य;
(xvi)	क्षेत्रीय अधिकारी, मिजोरम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	–सदस्य;
(xvii)	मिजोरम राज्य की किसी प्रतिष्ठित संस्था या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी तंत्र का एक विशेषज्ञ	–सदस्य;
(xviii)	मिजोरम राज्य की किसी प्रतिष्ठित संस्था या विश्वविद्यालय से जैव विविधता का एक विशेषज्ञ	–सदस्य;
(xix)	वन / प्रभागीय वन अधिकारी के संबंधित उप-संरक्षक	–सदस्य-सचिव।

6. विचारार्थ विषय .- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुन: गठन किए जाने तक होगा और बाद में मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) मानीटरी समिति वास्तविक विशिष्ट दशाओं के आधार पर उन क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में आते हैं। इनमें वे क्रियाकलाप सम्मिलित नहीं हैं जो इस अधिसूचना के पैरा 4 में दी गई सारणी(3) में यथा विनिर्दिष्ट हैं तथा जिन्हे केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के लिए भेजा गया है।

(4) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं, परन्तु जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंर्तगत आते हैं, उनकी, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल विशिष्ट दशाओं के आधार पर, मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जायेगी और उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित कार्य प्रभारी इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक मामले में आवश्यकताओं के आधार पर संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध IV** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे।

[फा. सं. 25/17/2017-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

पौलरेंग वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर: उत्तरी सीमा एन.हलीमेन घाट से आरंभ होकर 800 मीटर की दूरी तक तुईतल नदी की ओर मलरेंग लुई (92°51'34.084"पू, 24°14'58.542"उ) तक जाती है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की चौड़ाई अभयारण्य सीमा से 800 मीटर है।

पूर्व: मलरेंग लुई (92°54'27.872"पू, 24°13'52.988"उ) को पार करने के बाद यह सीमा अभयारण्य की सीमा से 800 मीटर की दूरी पर जाती है। फिर यह तुईतला लुई (92°52'24.009"पू, 24°6'15.954"उ) से मिलती है।

दक्षिण: तुईतला लुई को पार करने के बाद, यह सीमा अभयारण्य की सीमा से 800 मीटर की दूरी पर जाती है। फिर यह तुईरल लुई (92°51'33.281"पू, 24°6'1.044"उ) से मिलती है। इसके बाद यह अभयारण्य सीमा से 1000 मीटर की दूरी तक जाती है। और यह तुईरी तुई लुई (92°50'5.301"पू, 24°11'27.953"उ) से मिलती है।

पश्चिम: तुरीतुई लुई से यह सीमा अभयारण्य की सीमा से 1000 मीटर की दूरी पर फुट पाथ (92°51'31.7"पू, 24°15'37.764"उ) तक जाती है और यहां से यह 2000 मीटर की दूरी तक जाकर तुईरल लुई से मिलती है।

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की चौड़ाई अभयारण्य सीमा से 0.8 किलोमीटर से 2.0 किलोमीटर तक है।

उपाबंध-II

भू स्थिति प्रणाली के संदर्भ में पौलरेंग वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के निर्देशांक

क. संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	स्थिति/दिशा के मुख्य बिंदु	अक्षांश (उत्तर) (डिग्री मिनट सेकेण्ड प्रारुप)	देशांतर (पूर्व) (डिग्री मिनट सेकेण्ड प्रारुप)
1	उत्तर	24°13'37.521"उ	92°54'3.074"पू
2	पूर्व	24°14'45.601"उ	92°53'16.322"पू
3	दक्षिण	24°6'26.327"उ	92°51'22.265"पू
4	पश्चिम	24°8'35.603"उ	92°50'17.58"पू

ख. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	स्थिति/दिशा के मुख्य बिंदु	अक्षांश (उत्तर) (डिग्री मिनट सेकेण्ड प्रारूप)	देशांतर (पूर्व) (डिग्री मिनट सेकेण्ड प्रारूप)
1	उत्तर	92° 51’ 24.958”पू	24° 15’ 34.313”उ
2	पूर्व	92° 54’ 30.37”पू	24° 13’ 36.164”उ
3	पश्चिम	92° 49’ 43.471”पू	24° 08’ 34.81”उ
4	दक्षिण	92° 51’ 32.631”पू	24° 05’ 56.84”उ

उपाबंध-III

भू-निर्देशांकों के साथ पौलरेंग वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

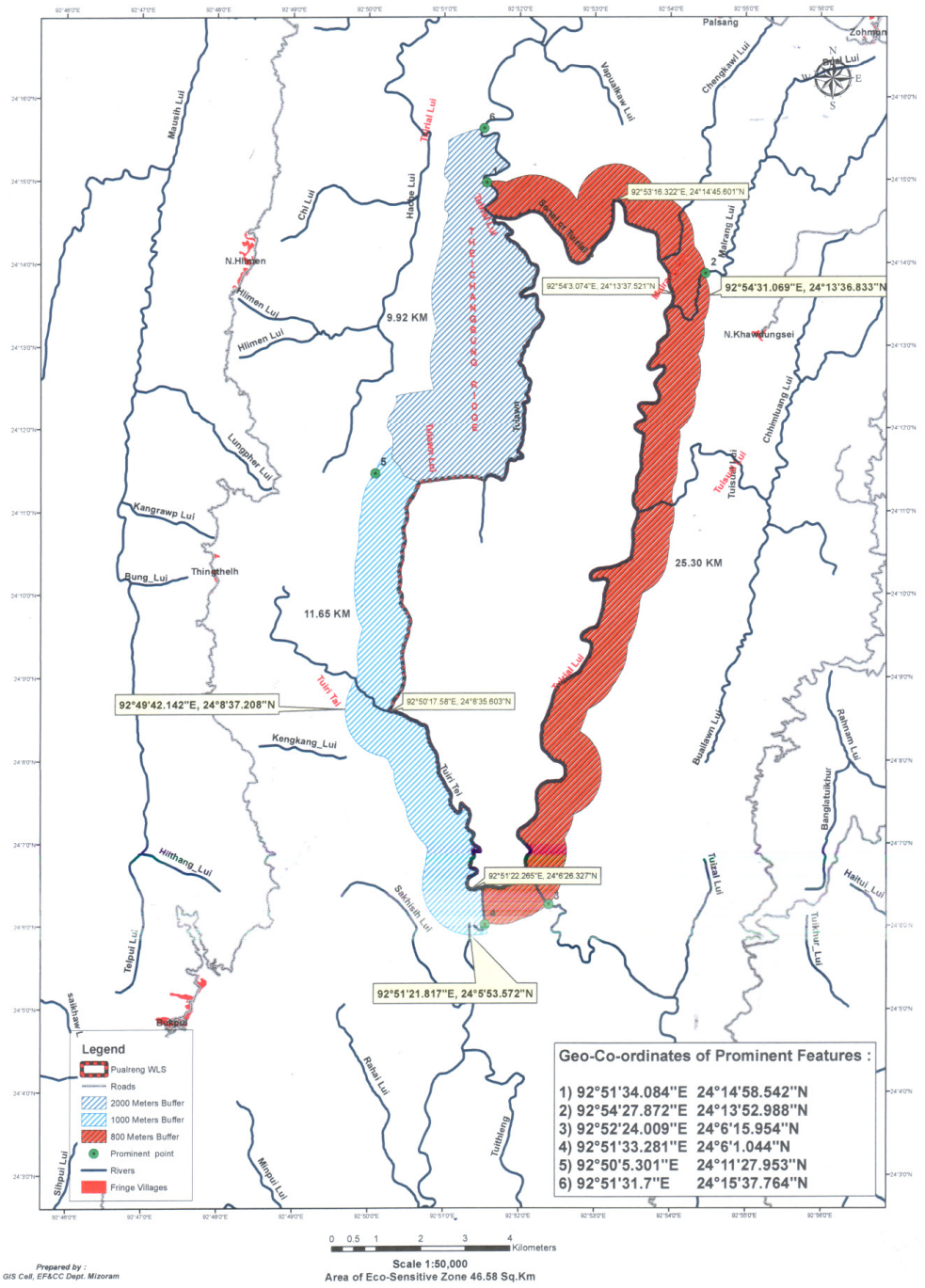

उपाबंध IV

कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट का प्रपत्र:

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। (विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें)।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th June, 2019

S.O. 1966(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 4106 (E), dated the 28th December, 2017, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 29th December, 2017;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Pualreng Wildlife Sanctuary (WLS) is spread over an area of 50.0 square kilometers and located at a distance of 7.0 kilometers East of Serkhan-Baga road in Kolasib District of the State of Mizoram, the Wildlife Sanctuary contains 40% Reserve Forest and 60% Government unclassed land where most of the area is hilly terrain with 70% steep slope and 30% of gentle slope with sandy clay soil and sedimentary rocks;

AND WHEREAS, the Pualreng Wildlife Sanctuary was declared by the State Government of Mizoram considering its ecological, floral, faunal and natural significance, and its need for the protection, propagation and development of wildlife and its environment under the provisions of Wildlife (Protection) Act, 1972 vide notification No.B.12012/16/2013-FST dated the 10th December, 2013;

AND WHEREAS, the Pualreng Wildlife Sanctuary is rich in biodiversity, provides shelter and protection to many Rare, Endangered and Threatened (RET) and endemic species. It also forms an important catchment area for the Tuirial river;

AND WHEREAS, the Pualreng Wildlife Sanctuary conserves and supports 32 important species of flora including 21 tree species, 5 species of shrub, 2 species of bamboo and rattans, and 4 species of orchids, the 21 tree species include Nganbawm (*Acrocarpus fraxinifolias*), Banphar (*Antocephalus chinensis*),

Tatkawng (*Artocarpus chama*), Phunchawng (*Bombax ceiba*), Thingsia (*Castanopsis tribuloides*), Zuang (*Duabanga grandifolia*), Tuairam (*Garuga floribunda var gamble*), Thlanvawng (*Gmelina orborea*), Khawitur (*Hydnocarpus kurzi*), Herhse (*Mesua ferrea*), Ngiau-Hnahsin (*Michelia oblonga*), Pualeng (*Mitragyna diversifolia*), Hnaibung (*Palaquium polyanthum*), Bulbawr (*Phoebia attenuate*), Thingvawkpui (*Sapium baccatum*), Char (*Terminalia myriocarpa*), Teipui (*Toona ciliate*), Sunhlu (*Emblica officianalis*), Pasaltakaza (*Helicia robusta*), Sernam (*Litsea cubeba*) and Thlengreng (*Vitex heterophylla*),the 5 shrub species include Zawngtenawhlung (*Alchornea tiliaefolia*), Phaktel (*Bridelia monoica*), Keltebengbeh (*Tabernaemontana divaricata*), Pelh (*Gnetum gnemon*) and Arngeng (*Maesa indica*), the 2 species of bamboo include Mau tak (*Melocanna baccifera*) and Sairil (*Dinochloa campactiflora*), the 4 species of orchids include Senhri (*Renanthera imschootiana*), Ban sei/Laihang (*Dendrobium fimbriatum*), Lawh lei (*Vanda coerulea*) and Nauban par var (*Coelogyne nitida*);

AND WHEREAS, the Pualreng Wildlife Sanctuary supports 23 important mammalian species including 4 species of primates, 6 species of carnivores, 7 species of lesser carnivores, 2 species of ungulates, 2 species of canids and 2 species of ursids including Hoolock gibbon-Hauhuk- (*Hylobate hoolock*), Pig-Tailed Macaque (*Macaca leonina*), Slow Loris (*Nycticebus bengalensis*), Phayre's Leaf Monkey (*Trachypithecus phayrei*), Common Leopard (*Panthera parades*), Clouded Leopard (*Neofelis nebulosa*), Golden cat (*Catpuma temmincki*), Leopard cat (*Prionailurus bengalensis*), Marbled Cat (*Pardofelis marmorata*), Fishing Cat (*Prionailurus viverinnus*), Hog Badger (*Arctonts collaris*), Yellow-throated Marten (*Martes flavigula*), Large Indian Civet (*Viverra zibetha*), Small Indian Civet (*Viverricula indica*), Binturong (*Arctictis binturong*), Crab Eating Mangoose (*Herpestes urva*), Yellow bellied Weasel (*Mustela kathiah*), Wild dog (*Cuon alpines*), Jackal (*Canis aureus*), Himalayan Black Bear (*Ursus thibetanus*), Malayan Sun Bear (*Helarctos malayanus*), Barking Deer (*Muntiacus muntjak*) and Serow (*Naemorhedus sumatraensis*);

AND WHEREAS, the Pualreng Wildlife Sanctuary is rich in avifauna and supports 29 important bird species like Varihaw-Bhutan Peacock pheasant (*Polyplectron bicalcaratum*), Vahui (*Treron apicauda*), Vahui (*Treron curvirostra*), Bullut-Imperial Pigeon (*Ducula badia*), Vathu (*Streptopelia orientalis*), Hrangkir-Collared Owlet (*Glaucidium brodiei*), Varalthi (*Harpectes erythrocephalus*), Tlakawrh (*Merops phillipinus*), Thlohsai-Great Slaty Woodpecker (*Mulleripicus pulverulentus*), Chhemhur (*Lanius tephronotus*), Changsen (*Oriolus trailii*), Kulherh-Haircrested Drongo (*Dicrurus hottentottus*), Vakul (*Dicrurus paradiseus*), Dawntliang-Green magpie (*Cissa chinensis*), Choak (*Corvus macrorhynchos*), Thelkbur-Large wood Shrike (*Tephrodornis virgatus*), Bawng (*Pericrocotus flammeus*), Ngalvapual (*Pomatorhinus horsfieldii*), Ngalvapual (*Pomatorhinus hypoleucos*), Mitval (*Alcippe nipalensis*), Thehhek (*Prinia hodgonii*), Daikat (*Orthotomus sutorius*), Chinrang-Spotted forktail (*Enicurus maculatus*), Suklet (*Sitta castanea*), Tiau (*Anthus hodgsoni*), Dawithiamaarpa (*Aethopyga saturate*), Dawithiamaarpa (*Aethopyga siparaja*), Mitval (*Zosterops palpebrosa*) and Chhemhur (*Lonchura striata*);

AND WHEREAS, the Pualreng Wildlife Sanctuary also conserves, protect and provides shelter to 16 endemic species of flora and fauna including *Ficus religiosa*, *Mesuaferrea*, *Michelia* champaca, *Acrocarpus fraxinifolios, Bombax ceila*, Clouded leopard, Hoolock gibbon, Sun bear, Slow lorries, Phayr's leaf monkey, Sambar, Serow, Khaleej pheasant, Peacock pheasant, Common hill partridge and Pied hornbill;

AND WHEREAS, the Pualreng Wildlife Sanctuary is home to a variety of flora, fauna and avifauna, and provides protection to rare and endangered species of wildlife endemic to Mizoram and the North-East region;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Pualreng Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0.8 kilometers to 2.0 kilometers around the boundary of Pualreng Wildlife Sanctuary, in Kolasib districts in the State of Mizoram as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. –** (1) The Eco-sensitive Zone shall be 46.58 square kilometres with extent varying from 0.8 kilometres to 2.0 kilometres around the boundary of the Pualreng Wildlife Sanctuary.

   (2) The boundary description of the Eco-sensitive Zone around Pualreng Wildlife Sanctuary is appended as **Annexure-I**.

   (3) The coordinates of Pualreng Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone in terms of Global Positioning System coordinates is appended as **Annexure-II**.

   (4) The map of Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-III**.

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.

   (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

   (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

      (i) Environment;

      (ii) Forest and Wildlife;

      (iii) Agriculture;

      (iv) Revenue;

      (v) Urban Development;

      (vi) Tourism;

      (vii) Rural Development;

      (viii) Irrigation and Flood Control;

      (ix) Municipal;

      (x) Panchayati Raj;

      (xi) Public Works Department;

      (xii) Highways; and

      (xiii) Mizoram State Pollution Control Board.

   (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

   (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

   (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

   (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

   (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e-waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
8.	Commercial use of fire wood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
B. Regulated Activities		
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
11.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small scale non-polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
16.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
22.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Open well, borewell etc. for agriculture or other usage.	Regulated as per the applicable laws the activity shall monitored by the concerned authority.
25.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
36.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
37.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
38.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	Deputy Commissioner of Kolasib District	Chairman, ex officio
(ii)	Representative of Land Revenue and Settlement Department	Member;
(iii)	Representative of Rural Development Department	Member;
(iv)	Representative of Agriculture Department	Member;
(v)	Representative of Local Administration Department	Member;
(vi)	Representative of Public Works Department	Member;
(vii)	Representative of Public Health Engineering Department	Member;
(viii)	Representative of Fishery Department	Member;
(ix)	Representative of Industries Department	Member;
(x)	Representative of Police Department	Member;
(xi)	Representative of Power and Electricity Department	Member;
(xii)	Representative of Animal Husbandry and Veterinary Department	Member;
(xiii)	Representative of Soil and Moisture Conservation Department	Member;
(xiv)	Representative of Minor Irrigation Department	Member;
(xv)	Representative of non-Governmental organisation working in the field of nature conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Mizoram	Member;
(xvi)	Regional Officer, Mizoram State Pollution Control Board	Member;
(xvii)	One expert in ecology from a recognised institution or university of the State of Mizoram to be nominated by the Government of Mizoram	Member;
(xviii)	One expert in biodiversity from a recognised institution or university of the State of Mizoram to be nominated by the Government of Mizoram	Member;
(xix)	Concerned Deputy Conservator of Forests/ Divisional Forest Officer	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure IV.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/17/2017-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

BOUNDARY DESCRIPTION OFTHE ECO-SENSITIVE ZONE AROUND PUALRENG WILDLIFE SANCTUARY

North: The Northern boundary starts from N. Hlimen ghat and follows Tuitial river at a distance of 800 m from it till Malrang Lui (92°51'34.084"E, 24°14'58.542"N). The width of the ESZ is 800 m from the sanctuary boundary.

East: After crossing Malranglui (92°54'27.872"E, 24°13'52.988"N) the boundary runs at a distance of 800 m from the sanctuary boundary till it meets Tuitlalui (92°52'24.009"E, 24°6'15.954"N).

South: After crossing Tuitlalui, the boundary runs at a distance of 800 m from the sanctuary boundary till it meets Tuiriallui (92°51'33.281"E, 24°6'1.044"N). Then it extends at a distance of 1000 m from the sanctuary boundary till it meets Tuirituilui (92°50'5.301"E, 24°11'27.953"N).

West: From Turituilui, the boundary extends at a distance of 1000 m from the sanctuary boundary upto the foot path (92°51'31.7"E, 24°15'37.764"N) and from there it extends at a distance of 2000 m till it meets Tuiriallui.

The width of the Eco-Sensitive Zone boundary varies from 0.8 km to 2.0 km away from the sanctuary boundary.

ANNEXURE-II

GEO-COORDINATES OF THE PUALRENG WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE IN TERMS OF GLOBAL POSITIONING SYSTEM

A. GEO-COORDINATES OF THE PROTECTED AREA BOUNDARY

Sl. No.	Location/Direction of Prominent point	Latitude (North) (Degree Minute Second Format)	Longitude (East) (Degree Minute Second Format)
1	North	24°13'37.521"N	92°54'3.074"E
2	East	24°14'45.601"N	92°53'16.322"E
3	South	24°6'26.327"N	92°51'22.265"E
4	West	24°8'35.603"N	92°50'17.58"E

B. GEO-COORDINATES OF THE ECO-SENSITIVE ZONE BOUNDARY

Sl. No.	Location/Direction of Prominent point	Latitude (North) (Degree Minute Second Format)	Longitude (East) (Degree Minute Second Format)
1	North	92° 51’ 24.958”E	24° 15’ 34.313”N
2	East	92° 54’ 30.37”E	24° 13’ 36.164”N
3	West	92° 49’ 43.471”E	24° 08’ 34.81”N
4	South	92° 51’ 32.631”E	24° 05’ 56.84”N

ANNEXURE-III

MAP OF PUALRENG WINLDLIFE SANCTURY ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH GEO-COORDINATES

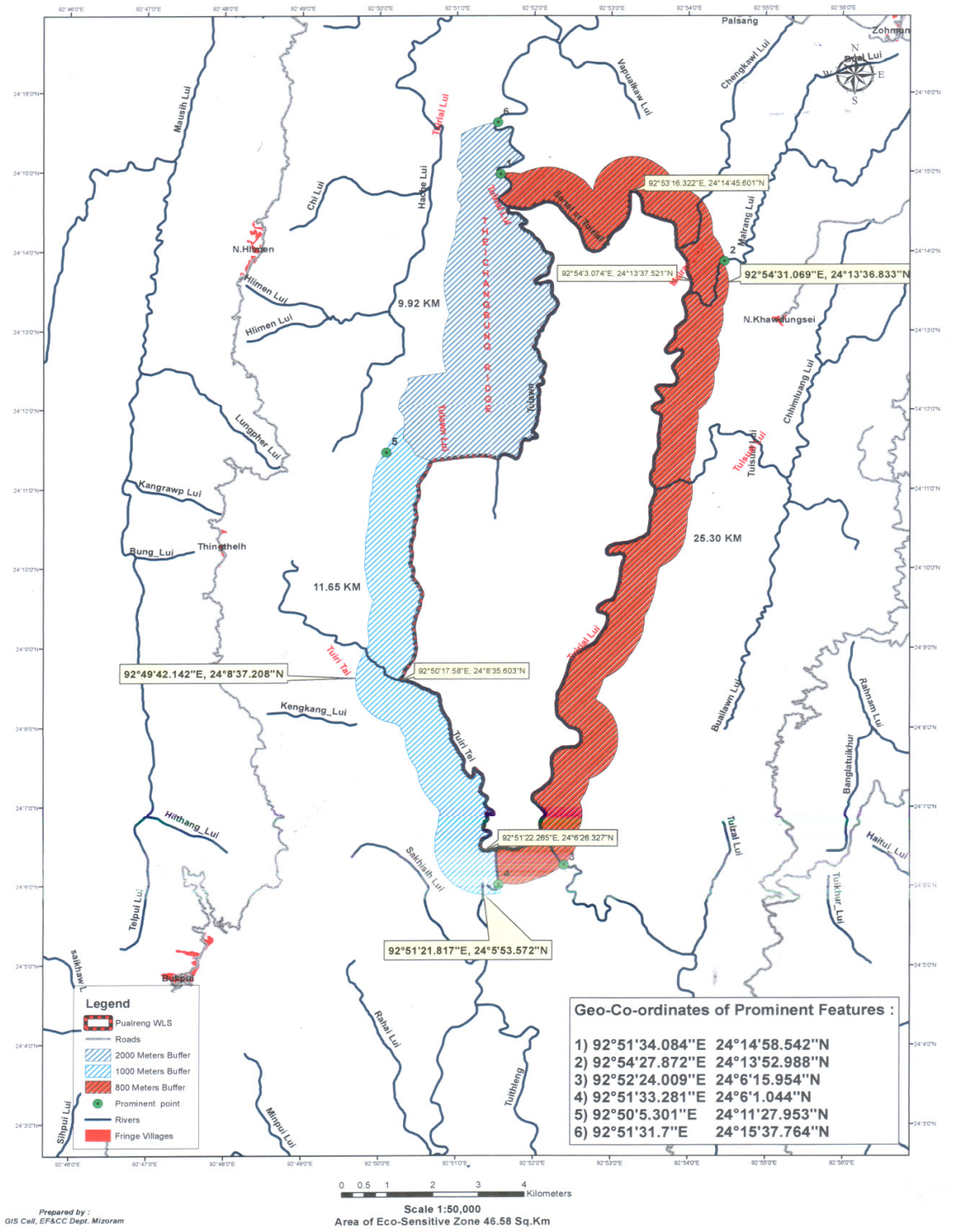

ANNEXURE–IV

Performa of Action Taken Report:

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.06.17 18:35:23 +05'30'